नीलामी खरीददार के पक्ष से उठाई गई यह वितर्कित बात है कि निचले अपील न्यायिक अदालत द्वारा जिन मुद्दों पर अनुमति दी गई, वे जमानत देने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं उठाए जा सकते।

(8) कानून के बयान के अनुसार, जो संशोधन अधिनियम संख्या 104 के बाद आया, उसके बाद के कानून के निर्णय पूरी तरह से अनुचित होंगे। आर एन मित्तल, जेके द्वारा मल सिंह के मामले (सुप्र) में दिये गए निर्णय और दूसरे मामले उसी मामले से संबंधित हैं जो संशोधन अधिनियम संख्या 104 से पहले हुए थे, और इसलिए, उनकी और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, पंजाब अनुशासन के नियम 21 के नियम 90 में जो प्रावधान पंजाब अनुशासन द्वारा जोड़ा गया था, 1 फरवरी, 1977 से प्रभाव से अधिनियमित हो गया है। नियम 90 अब 1 फरवरी, 1977 से प्रभाव से लागू होगा।

(9) उपरोक्त कारणों के कारण, हमें इस संशोधन में कोई गुण नहीं मिलता है और उसे खारिज कर दिया गया है, पक्षों को अपने अपने खर्चे उठाने के लिए छोड़ दिया गया है। कार्यान्वयन अदालत अब कानून के अनुसार पूनः संलग्न संपत्ति को बेचने के लिए आगे बढ़ेगा।

एस. पी. गोयल और जी. सी. मिताल, न्यायाधीशों के समक्ष।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक,—प्रार्थी

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य,—प्रतिवादियों

कंपनी याचिका संख्या 48 क्रमांक 1981

18 सितंबर, 1985।

कंपनियों कानून) 1956 का अधिनियम (—धारा 446—कंपनियों कानून) 1913 का अधिनियम (—धारा 171—लिक्विडेशन में कंपनी— आदेश के बाद कंपनी के खिलाफ स्तरीय या अन्य कानूनी प्रक्रियाएं शुरू—धारा 446 के अनुमति की आवश्यकता— पोस्ट फैक्टो अनुमति—क्या प्राप्त की जा सकती है। निर्णय, कंपनियों कानून, 1956 की धारा 446 में की गई शब्दावली का परिवर्तन इस दृष्टि से कोई प्रमुख फर्क नहीं पड़ता है जब तक कोर्ट को सूचना जारी की जाने की स्थापना के साथ स्तरीय या अन्य कानूनी प्रक्रिया चालू करने के लिए पोस्ट फैक्टो मंजूरी देने की सम्पेक्षता की जाए। इसलिए, लिक्विडेशन में कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट की अनुमति प्राप्त करना केवल एक शर्त पूर्ववर्ती

नहीं है और हालांकि अगर एक मुकदमा शुरू किया गया है लिक्विडेशन में कंपनी के खिलाफ बिना अनुमति प्राप्ति के, तो ऐसी अनुमति बाद में भी आवेदन किया जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। (पैरा 5) ईस्टर्न स्टीमशिप प्राइवेट लिमिटेड बनाम पुक्टो प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा (1971)41 कॉम्प। कैस 43। (असहमत (

माननीय श्री एस. पी. गोयल द्वारा जोड़ी गई महत्त्वपूर्ण कानूनी सवाल के निर्णय के लिए एक बड़ी बेंच को संदर्भित केस। बड़ी बेंच, जिसमें माननीय श्री एस. पी. गोयल और माननीय श्री गोकल चंद मिताल थे, 18 सितंबर, 1985 को सवालिक हालत पर निर्णय दिया और उसने निर्णय दिया कि मामला विचारणे के लिए सीखे न्यायाधीश के समक्ष 25 अक्टूबर, 1985 को सूचीबद्ध हो।

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के संदर्भ से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 1 अगस्त, 1980 को होनी वाली श्रीमान कंपनी जज के आदेशों के तहत संदर्भित केस को स्थानांतरित किया गया था और वह कंपनी याचिका संख्या 48 क्रमांक 1981 के रूप में दर्ज किया गया था।

जे. एस. नारंग वकील, प्रार्थी के लिए।

मुनीश्वर पुरी, वकील और आर. के. चिब्बेर, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

एस. पी. गोयल न्यायाधीश।

निर्णय

(1) हिंदुस्तान वन कंपनी; एक निजी सीमित कंपनी,

8 नवंबर, 1974 को स्वेच्छापूर्वक लिक्विडेशन में गई। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा यह मौजूदा मुकदमा 16 जून, 1975 को जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय में उक्त कंपनी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दाखिल किया गया था और यह मुकदमा कंपनी जज के आदेश द्वारा 1 अगस्त, 1980 को इस अदालत की फ़ाइल में स्थानांतरित कर दिया गया था। लिखित जवाब में मुकदमे की मान्यता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि इसके दायर किए जाने से पहले कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। तिथि 9 नवंबर, 1984 के आदेश में, मैंने अकेले बैठकर यह निर्णय दिया कि 1 अगस्त, 1980 को दिया गया आदेश निर्दिष्ट रूप से मुकदमे की दाखिल की अनुमति देने के रूप में समझा जा सकता है। परंतु सवाल अभी भी बना रहता है, कि क्या पश्चात्ताल्क अनुमति दी जा सकती है और उसका प्रभाव हो सकता है पहले से शुरू हो गई मुकदमे के जारी रखने के लिए। क्योंकि बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की दो विभाजन बेंच फैसलों में इस सवाल पर विरोध था, इसलिए मैंने मामले को एक बड़े बेंच को संदर्भित किया। यहीं से हम इस मामले के संबंध में हैं।

(2) कंपनियों अधिनियम 1956 की धारा 446 में कंपनी लिक्विडेशन के खिलाफ किसी प्रक्रिया या मुकदमे की शुरूआत या जारी रखने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता है और इसकी प्रदान की गई है। 1913 के कंपनियों अधिनियम की धारा 171 में भी एक समान प्रावधान था। उस प्रावधान के तहत, पश्चात्तात्क स्वीकृति का सवाल सुप्रीम कोर्ट में आया था बंसीधार शंकरलाल बनाम मोहम्मद इब्राहीम और दूसरा, (1) और उसमें निर्णय हुआ: "या तो, मानते हुए कि धारा 179 के तहत स्वीकृति धारा 171 के तहत को नहीं खत्म करती है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि धारा 171 के तहत अदालत की अनुमति को प्राप्त करना किसी प्रकार की पूर्वशर्त बनाता है कि कंपनी के खिलाफ एक निर्णय की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए। प्रक्रिया की शुरुआत से पहले अनुमति प्राप्त करने की अनुपस्थिति प्रक्रिया को खारिजी नहीं करती थी: अदालत की अनुमति के प्राप्त होने तक, जिसे प्राप्त किया गया था, प्रक्रिया को मान्यता दी जाती थी कि अनुमति प्राप्त की जाती है।"

(3) कंपनियों अधिनियम की धारा 171 के बदलते हुए प्रावधानों को दोबारा संकलित करते समय, विधायिका ने उसके शब्दों में कुछ परिवर्तन किए और इस आधार पर, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक विभाजन बेंच ने ईस्टर्न स्टीमशिप प्राइवेट लिमिटेड बनाम पूक्टो प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा, (2), ने यह मान्यता दी कि मुकदमे को जारी रखने की या इसे आगे बढ़ाने की अनुमति केवल मुकदमे की शुरुआत होने से पहले दी जा सकती है और उसके बाद नहीं, अगर यह लिक्विडेशन आदेश की तारीख के बाद शुरू किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने स्टार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बनाम कृष्णकुमार मिल्स कंपनी लिमिटेड के आधिकारिक लिक्विडेटर (लिक्विडेशन में) और दूसरों, (3) और मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर स्ट्रैप्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम, (4)। इन दो विरोधी दृष्टिकोणों के अनुपालन के लिए दोनों धाराओं, अर्थात धारा 1913 के अधिनियम की धारा 171 और वर्तमान अधिनियम की धारा 446, की धाराएँ, नोटिस की जानी चाहिए जो निम्नलिखित हैं :

धारा 171:

.....

"जब लिक्विडेशन आदेश दिया जा चुका हो या संक्रांति

अनिश्चित लिक्विडेटर का नियुक्त किया गया हो, तो कोई भी मुकदमा या अन्य कानूनी प्रक्रिया इस न्यायालय की अनुमति के बिना आगे बढ़ाई या शुरू की नहीं जा सकती, और जैसी शर्तें न्यायालय लगाएगा, उसी के अधीन।"

धारा 446 (1):

.....

"जब लिक्विडेशन आदेश दिया गया हो या यदि आधिकारिक लिक्विडेटर को संक्रांति अनिश्चित लिक्विडेटर के रूप में नियुक्त किया गया हो, तो कोई भी मुकदमा या अन्य कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती, या यदि लिक्विडेशन आदेश की तारीख पर चल रही हो, तो आगे बढ़ाई नहीं जा सकती, केवल न्यायालय की अनुमति के बिना और जैसी शर्तें न्यायालय लगाएगा।"

(4) दो प्रावधानों की तुलना से प्रकट होता है कि शब्दों में किया गया परिवर्तन है कि अंतिम धारा में शब्दों के बीच, "या अगर लिक्विडेशन आदेश की तारीख पर चल रही हो" जोड़े गए हैं। इन शब्दों के जोड़े जाने से केवल विधायक का इरादा अधिक स्पष्ट हो गया है और इसने प्रावधान की मौलिक संरचना पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डाला है। शब्द, "कोई मुकदमा या अन्य कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई नहीं जा सकती," स्पष्ट रूप से उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं जो लिक्विडेशन आदेश की तारीख पर चल रही होती हैं। अगर प्रक्रिया उस तारीख पर नहीं है, तो लिक्विडेशन आदेश के पास होने के बाद उन्हें आगे बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। उपरोक्त प्रावधान में शब्दों के जोड़े जाने का अर्थ, इसलिए, स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है बस। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ईस्टर्न स्टीमशिप प्राइवेट लिमिटेड के मामले में (सुप्रसिद्ध) अपनी दृष्टिकोण के लिए धारा 17 और प्रावधान के 28(2) की शब्दावली पर निर्भर किया और उस प्रावधान के व्याख्यान पर फैसलों पर। बंसीधार शंकरलाल के मामले (सुप्रसिद्ध) का निर्णय तब तक नहीं हुआ था।

(5) मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य बैंक ऑफ इंडिया के मामले (सुप्रसिद्ध) में धारा 446 के प्रावधानों का व्याख्यान करते समय उक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित तरह से टिप्पणी की :

"1956 कंपनियों अधिनियम की भाषा में की गई विभेदन तो सिर्फ एक ड्राफ्टिंग बदलाव है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय कंपनियों अधिनियम 1913 की संबंधित धारा 171 की भाषा से जुटी विधि से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और प्रस्तुत अधिनियम की धारा 446 की भाषा में बदलाव केवल पूर्व अधिनियम की धारा 171 में विद्यमान प्रावधान को विस्तारित, स्पष्टीकरण या विस्तार करने के रूप में है और उसमें संशोधन या संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए, किसी कंपनी लिक्विडेशन में मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त करना सूत्र पूर्वशर्त नहीं है और यदि बिना अनुमति प्राप्त किए हुए किसी कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया हो, तो ऐसी अनुमति बाद में भी आवेदन किया जा सकता है और प्राप्त की गई अनुमति के तारीख को ही माना जाएगा।"

गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले ही इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित तरह से अपनी राय व्यक्त की थी :

"किसी प्रक्रिया की शुरुआत से पहले कंपनी अदालत से अनुमति प्राप्त करने की असफलता; अदालत की अनुमति के बिना चलाया गया मुकदमा या प्रक्रिया अनुप्रभावी रहेगी जब तक कि अनुमति प्राप्त नहीं होती, लेकिन एक बार जब अनुमति प्राप्त होती है, तो प्रक्रिया को उसी तारीख को माना जाएगा जिस दिन अनुमति प्राप्त की गई थी।

उसी रूप में सम्मानित होकर, हम यह मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बंसीधार शंकरलाल के मामले (सुप्रसिद्ध) में निर्धारित नियम अभी भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है और वर्तमान धारा की शब्दावली में किए गए परिवर्तन से कोई महत्व नहीं है जब तक कंपनी अदालत को मुकदमे को जारी रखने के लिए पोस्ट फैक्टो स्वीकृति देने की क्षमता की बात की जाए और मुकदमा को उस तिथि से वैध रूप से शुरू किया गया माना जाएगा। मामला अब 25 अक्टूबर, 1985 को अध्ययन के लिए श्रीमान एकल न्यायाधीश के सामने सूचीबद्ध किया जा सकता है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नारनौल, हरियाणा

(1) (1971) 41 Comp. Cases 21.

(2) (1971) 41 Comp. Cases 43.

(3) (1977) 47 Comp. Cases 30.

(4) (1979) 49 Comp. Cases 514